



वर्ष 2023 में सबसे कम CAG अंकेक्षण

प्रलिस के लयः

[नयऱरक-महालेखापरीकषक](#) की नयुकुत और नषऱसन, CAG से संबधतऱ संवैधानकऱ प्ररवधरन

मेन्स के लयः

भरत जैसे लोकतंत्रकऱ देश में अंकेक्षण की भूमकऱ, CAG के कर्तव्य

[स्रोत: द हदुऱ](#)

चरुा में क्युँ?

कैलेंडर वर्ष 2023 में [नयऱरक-महालेखापरीकषक \(CAG\)](#) द्वारा तैयार केंदर सरकर के लेखांकन पर केवल 18 अंकेक्षण रपुऱरट संसद में प्रसतुत की गईं। वर्ष-वर वशऱलेषण से पता चलता है कऱ केंदर सरकर द्वारा संसद में प्रसतुत कयऱ जाने वाले अंकेक्षण की संख्या कम हुऱ रही है।

- वर्ष 2019 तथा 2023 के बीच प्रत्येक वर्ष औसतन 22 रपुऱरटें प्रसतुत की गईं जबकऱ वर्ष 2014 एवं 2018 के बीच 40 रपुऱरटें पेश की गईं।

CAG का कार्यालय क्या है?

- परचयः**
 - भरत का नयऱरक एवं महालेखापरीकषक (Comptroller and Auditor General of India), एक संवैधानकऱ प्ररधकऱरण है जो भारतीय लेखापरीकषा और लेखा वभऱग (Indian Audit and Accounts Department- IA&AD) का प्रमुख हुऱता है। दुनुनु संस्थाओं को सर्वोच्च लेखा परीकषा संस्थरन भरत (Supreme Audit Institution of India- SAI) के रूप में जाना जाता है।
- जनादेशः**
 - "जनता के धन के संरकषक" के रूप में CAG को केंदर तथा राज्य सरकरों सहतऱ उन संगठनों अथवा नकऱयों के सभी व्यय का नरीकषण तथा अंकेक्षण करने की ज़मऱमेदरऱऱ सौंपी गई है, जनुऱहें सरकर वशऱष तौर पर वतऱतपोषतऱ करती है।
 - यही कारण है कऱ डुऱ.बी.आर.अंबेडकर ने कहा कऱ CAG भरत के संवधऱन के तहत सबसे महत्त्वपूर्ण अधकऱरऱ हुऱता है।
- संवैधानकऱ प्ररवधरनः**
 - अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्ररवधरन करता है।
 - CAG से संबधतऱ अन्य प्ररवधरनों में अनुच्छेद 149-151 (कर्तव्य और शक्तयऱँ, संघ व राज्यों के खरतुँ का स्वरूप तथा अंकेक्षण रपुऱरट), अनुच्छेद 279 (नवल आय का परकऱलन इत्यादऱँ) तथा तीसरी अनुसूची (शपथ अथवा प्रतजऱनरन) एवं छठी अनुसूची (असम, मेघरलय, त्रऱपुरऱ व मज़ुरम राज्यों में जनजातीय कषेत्रों का प्रशासन) शामिल हैं।
- नयुकुतऱः** CAG की नयुकुतऱ [भरत के राष्ट्रपतऱ](#) द्वारा उनके हस्ताकषर तथा मुहर के तहत एक वररंट द्वारा की जाती है।
 - उसे कार्यकाल की सुरकषा प्रदान की जाती है तथा संवधऱन में उल्लखऱतऱ प्रकरयऱ के अनुसार ही राष्ट्रपतऱ द्वारा हटाया जा सकता है।
- कार्यकालः** 6 वर्ष की अवधऱ या 65 वर्ष की आयु प्ररपुत करने तक, जो भी पहले हुऱे।
- नषऱसनः** CAG को कार्यालय से हटाने के लयऱ एक वशऱषऱतऱ प्रकरयऱऱः संसद के प्रत्येक सदन से अभभऱषण प्ररपुत करने के बाद राष्ट्रपतऱ का एक आदेश, की आवशऱकता हुऱती है।
 - नषऱसन को प्रभरवी बनाने के लयऱ अभभऱषण को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उसी सत्र में उपस्थतऱ एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दुऱ-तहऱई बहुमत द्वारा समरथतऱ हुऱना चाहयऱ।
 - नषऱसन के आधररुँ में सधऱध दुरव्यवहार या अकषमता शामिल है।
- स्वतंत्रता के प्ररवधरनः** प्रमुख प्ररवधरनों में शामिल हैं-
 - CAG का वेतन और खरुच भरत की संचतऱ नधऱ पर भरतऱ हुऱता है।
 - CAG को कार्यकाल की सुरकषा प्रदान की जाती है और वह राष्ट्रपतऱ की इच्छा तक पद पर नही रह सकता है, हरलुँकऱ उसकी नयुकुतऱऱ

राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

- कार्यालय छोड़ने पर **CAG** को कार्यालय की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखते हुए, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के भीतर किसी भी अनुवर्ती पद को धारण करने से रोक दिया जाता है।

भारत जैसे लोकतंत्र में अंकेक्षण की क्या भूमिका है?

■ पारदर्शिता और दायित्व:

- सार्वजनिक विश्वास:** अंकेक्षण जनता में विश्वास उत्पन्न करता है कि किरदाताओं के पैसे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- दायित्व:** वे सरकारी निकायों और अधिकारियों को उनके वित्तीय नरिणों एवं कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराते हैं, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या गलत आवंटन को रोकते हैं।

■ वित्तीय कुप्रबंधन को रोकना:

- तुरुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना:** अंकेक्षण तुरुटियों, वसिंगतियों या संभावित धोखाधड़ी गतविधियों को उजागर करने में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए।
- बजट अनुपालन:** वे सत्यापित करते हैं कि क्या वित्तीय गतविधियाँ बजटीय आवंटन के साथ संरेखित हैं, जिससे अधिक खर्च या अनधिकृत व्यय को रोका जा सके।

■ दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार:

- अक्षमताओं की पहचान करना:** अंकेक्षण प्रक्रियाओं में अक्षमताओं को उजागर करता है, जिससे सुधार और लागत-बचत उपायों की अनुमति मिलती है।
- प्रदर्शन मूल्यांकन:** ये सरकारी कार्यक्रमों और पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं तथा बेहतर परिणामों के लिये भविष्य के नीतित्ति नरिणों का मार्गदर्शन करते हैं।
- नरिण लेने की क्षमता को बढ़ाना:** ऑडिट रिपोर्ट नीतित्ति निर्माताओं हेतु मूल्यवान अंतरदृष्टि प्रदान करती है, बेहतर प्रशासन के लिये सूचित नरिण लेने में सहायता करती है।

- वैश्विक मानक और सहयोग:** वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले अंकेक्षण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समुदायों में देश की स्थिति में सुधार करते हैं, सहयोग और साझेदारी को सुवधाजनक बनाते हैं।

नोट: भारत का संविधान CAG को नरिणत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के रूप में देखता है। हालाँकि व्यवहार में CAG मुख्य रूप से केवल महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, न कि नरिणत्रक के रूप में। दूसरे शब्दों में CAG का फंड संवत्तिरण पर नरिणत्रण नहीं है। व्यय होने के बाद इसे केवल ऑडिट चरण के दौरान ही शामिल किया जाता है।

आगे की राह

■ ऑडिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:

- कुशल कार्यप्रवाह:** समय पर और व्यापक रिपोर्टिंग की सुवधा के लिये सरकारी विभागों के भीतर सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को लागू करना, तेज़ी से ऑडिट पूरा करने में सहायता करना।
- डिजिटल परिवर्तन:** ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और उनमें तेज़ी लाने, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने तथा रिपोर्ट नरिमाण में तेज़ी लाने के लिये तकनीकी प्रगति को अपनाना।

■ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:

- समय पर रिपोर्टिंग:** संसद में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये स्पष्ट समयसीमा और प्रोटोकॉल नरिधारित करना, समय पर प्रस्तुत एवं चर्चा सुनिश्चित करना।
- उन्नत सार्वजनिक पहुँच:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना, अधिक सार्वजनिक जाँच और समझ को बढ़ावा देना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. लोक नरिणिके फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नरिणत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है?

- CAG संसद की ओर से राजकोष पर नरिणत्रण रहता है जब भारत का राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है।
- CAG की मंत्रलयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किये गए प्रतविदनों पर लेखा समतिविचार-वमिर्श करती है।
- CAG के प्रतविदनों से मली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्ता एजेंसियाँ उन लोगों के वरिदूध आरोप दाखल कर सकती हैं जिन्होंने-लोक नरिणिके प्रबन्धन में कानून का उल्लंघन किया हो।
- CAG को ऐसी मशरित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर

अभययोग लगा सके ।

उपयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C

??????:

प्रश्न. "नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका नभानी होती है ।"व्याख्या कीजिये कयिह कसि प्रकार उसकी नयिक्ता की वधि और शर्तों के साथ ही साथ उन अधिकारों का वसितार से परलिक्षति होती है ,जनिका प्रयोग वह कर सकता है । (2018)

प्रश्न. संघ और राज्यों के लेखांकन के संबंध में नयित्तरक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से वयुत्त्पन है । चर्चा कीजिये कक्या सरकार की नीतिका रयान्वयन का लेखा परीक्षण करना अपने स्वयं (नयित्तरक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारता का अतकिरण करना होगा या नहीं । (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/2023-records-lowest-number-of-cag-audits>

